



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

फैक्स -01498 -261233

दूरभाष : 01498-261202,261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail – director.csfjetsar@gmail.com

No CSF/JTS/MKT/2017-18/

Dt. 23.05.2017

अल्पकालीन निविदा सूचना

फ्युमिगेशन कवर विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को नग 20 फ्युमिगेशन कवर साइज 32x21x17 फीट (IS: 2508 / 1984 SPECIFICATION 250 MICRON) की आवश्यकता है जिनकी दरें मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 30.05.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक निदेशक, के0 रा0 फा0, जैतसर जिला श्रीगंगानगर- (पिन.-335702) को प्रेषित करें। जो उसी दिनसांय काल 3.00 बजे समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदा के साथ धरोहरराशि रु0 10,000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC Code No: SBIN0008251) पर देय हो, निविदा के साथ जमा / संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी निगम की वेबसाईट पर www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। फ्युमिगेशन कवरों के आपूर्ति स्थल निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	आपूर्ति स्थल का नाम	नग
1.	केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, श्रीगंगानगर (राज.)	20

निविदा की नियम व शर्तें:-

1. फ्युमिगेशन कवर IS 2508/1984 ब्राण्डेड एवम् 250 GSM के होने चाहिये।
2. कवरों की दर प्रति नग सभी कर सहित एवं आपूर्ति स्थल तक पहुंच देनी होगी।
3. कवरोंकी आपूर्ति का आदेश फर्म को मिलने के उपरांत एवम् कवर तैयार होने पर भौतिक सत्यापन एवं जांच नमूना लेने हेतु फर्म फार्म को सूचित करेगी।
4. कवरों की जांच हेतु नमूना फार्म समिति व फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में फर्म से लिया जायेगा।
5. समिति द्वारा लिये गये नमूने की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजकर करायी जायेगी।
6. कवरों की जांच का खर्च फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
7. प्रयोगशाला द्वारा जांच के उपरान्त नमूना मानक स्तर का घोषित होने के उपरान्त फर्म को आपूर्ति एक सप्ताह के अंदर करनी होगी।
8. अपूर्ण निविदा होने पर निविदामान्य नहीं होगी।
9. निविदादाता को पेननम्बर की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
11. कवरों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
12. कवर जांच में अमानक स्तर के घोषित होने पर सम्बंधित फर्म को जांच खर्च फार्म पर जमा करवाना होगा।
13. कवर दिये गये आपूर्ति स्थलों पर सही हालत में पहुंचने के उपरांत एवम् पहुंच प्राप्त होने पर कवरों का भुगतान फार्म द्वारा फर्म के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से एक सप्ताह में कर दिया जाएगा।
14. निविदाता द्वारा निविदा में फ्युमिगेशन कवर का नमूना साथ में संलग्न करना होगा।

विपणन अधिकारी
कृते निदेशक

